

परिशिष्ट-1

# **OPERATIONAL GUIDELINES**

**Of**

**“Pradhan Mantri KisanSamman  
Nidhi (PM-KISAN)”**

## “Pradhan Mantri KisanSamman Nidhi (PM-KISAN)”

### OPERATIONAL GUIDELINES

#### 1. Scheme

The Government with a view to augment the income of the Small and Marginal farmers has approved a Central Sector Scheme, namely, “**Pradhan Mantri KISanSamman Nidhi (PM-KISAN)**” in the current financial year. The Scheme takes effect from 01.12.2018 for transfer of benefit to eligible beneficiaries during this financial year 2018-19.

#### 2. Objective and Benefits

2.1 With a view to provide income support to all Small and Marginal landholding farmer families having cultivable land, the Government has launched **PM-KISAN**. The scheme aims to supplement the financial needs of the farmers in procuring various inputs to ensure proper crop health and appropriate yields, commensurate with the anticipated farm income.

#### 2.2 Benefits under the Scheme

Under the scheme, financial benefit as given below will be provided to all Small and Marginal landholder farmer families across the country:-

(a) Landholder Farmer families with total cultivable holding upto 2 hectares shall be provided a benefit of Rs.6000 per annum per family payable in three equal installments, every four months.

(b) The first installment to eligible beneficiaries during this financial year 2018-19 shall be for the period from 01.12.2018 to 31.03.2019.

#### 2.3 Definition

A Small and Marginal landholder farmer family is defined as “a family comprising of husband, wife and minor children who collectively own cultivable land upto 2 hectare as per land records of the concerned State/UT”. The existing land-ownership system will be used for identification of beneficiaries for calculation of benefit.

#### 2.4 Exclusions

2.4.1 The following categories of beneficiaries of higher economic status shall not be eligible for benefit under the scheme: (a) All Institutional Land holders; and

(b) Farmer families in which one or more of its members belong to following categories :

a) Former and present holders of constitutional posts

b) Former and present Ministers/ State Ministers and former/present Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/ State Legislative Assemblies/ State Legislative Councils, former and present Mayors of Municipal Corporations, former and present Chairpersons of District Panchayats.

c) All serving or retired officers and employees of Central/ State Government Ministries /Offices/Departments and its field units Central or State PSEs and Attached offices

/Autonomous Institutions under Government as well as regular employees of the Local Bodies (*Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees*)

d) All superannuated/retired pensioners whose monthly pension is Rs.10,000/-or more(*Excluding Multi Tasking Staff / Class IV/Group D employees*) of above category 2.4.1 (c))

e) All Persons who paid Income Tax in last assessment year.

f) Professionals like Doctors, Engineers, Lawyers, Chartered Accountants, and Architects registered with Professional bodies and carrying out profession by undertaking practices.

**2.4.2** For the purpose of exclusion State/UT Government can certify the eligibility of the beneficiary based on self declaration by the beneficiaries. In case beneficiary is not available /does not reside in the village, State/UT Governments may consider certification based on the declaration by other adult member of his/her family. In case of incorrect self declaration, beneficiary shall be liable for recovery of transferred financial benefit and other penal actions as per law.

### **3. Methodology for calculation of benefit**

3.1 As mentioned in Para 2.3 above, the benefit of the scheme would be provided to all Small and Marginal landholder farmer families who collectively own cultivable land upto 2 hectare as per land records of concerned State/UTs, subject to exclusions as detailed in para 2.4 above.

3.2 If within a landholding farmer family, there are land parcels owned by family members spread across different revenue records in the same or different villages, then in such cases, land will be pooled for determining the benefits under the scheme. In case of joint holding the benefit will be transferred to the bank account of the person within the family with highest quantum of landholding. If the quantum of cultivable land owned by two or more individual family members is same, the benefit will be transferred to the bank account of the elder/eldest, as the case may be, of such members of that farmer family. Few illustrative examples for the eligibility of the benefits can be seen in **Annexure-I**.

3.3 The cut-off date for determination of eligibility of beneficiaries under the scheme shall be 01.02.2019 and no changes thereafter shall be considered for eligibility of benefit under the scheme for next 5 years. However, benefit will be allowed in those cases where transfer of ownership of cultivable land takes place on account of succession due to death of the landowner.

3.4 Cases where, transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which could be purchase, succession, will, gift, etc., between 01.12.2018 and 31.01.2019, shall be eligible for benefits under the scheme. However, the first installment during the financial year (2018-19) shall be proportionate amount from date of transfer till 31.03.2019 with respect to the 4 months period.

3.5 In some of the North Eastern States, the land ownership rights are community based and it might not be possible to assess the quantum of Land holder farmers. In such States an alternate implementation mechanism for eligibility of the farmers will be developed and approved by the Committee of Union Ministers of Ministry of Development of North East Region (DoNER), Ministry of Land Resources, Union Agriculture Minister and concerned State Chief Ministers or their Ministerial representative, based on the proposal by the concerned North Eastern States.

### **4. Strategy for Implementation**

4.1 Responsibility of identifying the landholder farmer family eligible for benefit under the scheme shall be of the State/UT Government. The States shall prepare database of eligible beneficiary landholder farmer families in the villages capturing the Name, Age, Gender, Category (SC/ST) , Aadhaar Number (in case Aadhaar Number has not been issued then Aadhaar Enrollment Number together with any other prescribed documents for purposes of the identification such as Driving Licence, Voters' ID Card, NREGA Job Card, or any other identification documents issued by Central/State/UT Governments or their authorities, etc.), Bank Account Number, IFSC Code. Though mobile number is not mandatory but it is advised that when available it may be captured so that the information related to sanction/transfer of benefit can be communicated. In case of beneficiaries in States of Assam, Meghalaya, J&K where Aadhaar number has not been issued to most of the citizens, Aadhaar number shall be collected for those beneficiaries where it is available and for others alternate prescribed documents can be collected for identity verification purposes. States/UTs shall ensure that there is no duplication of the payment transferred to eligible families. Speedy reconciliation in case of wrong/incomplete bank details of the beneficiary should be ensured.

4.2 For the purpose of exclusion States may devise their own modalities. However, they have to take a self declaration from the beneficiaries as detailed in par 2.4.2 above. In the said self declaration taken by the States/UT Governments an undertaking should also be included wherein the consent of the beneficiaries should be taken for using the Aadhaar number for verification of his eligibility for the scheme with the concerned agencies. This consent of the beneficiary should be "to agree that the department responsible for implementation of the Pradhan Mantri KisanSamman Nidhi Yojana in Union Govt or the State Government / Union Territory Administration can use the beneficiary Aadhaar number and other information provided in the declaration to verify the eligibility of the beneficiary for scheme as per extant scheme guidelines with the concerned agencies".

4.3 The existing land-ownership system in the concerned State/UT will be used for identification of beneficiaries. Accordingly, it is of utmost importance that the land records are clear and updated. Further, State/UT Governments would also expedite the progress of digitization of the land records and linking the same with Aadhaar as well as bank details of the beneficiaries.

4.4 The lists of eligible beneficiaries would be published at the village level to ensure transparency. Small and Marginal Farmer families who are eligible but have been excluded should be provide an opportunity to represent their case.

## **5. Review, Monitoring and Grievance Redressal Mechanism**

5.1 There will be a stratified review/monitoring mechanism at National, State and District Level. At the National level, the Review Committee will be headed by Cabinet Secretary. The States shall notify the State and District Level Review / Monitoring Committee.

5.2 The States shall also notify State and District Level Grievance Redressal Monitoring Committees for looking into all the grievances related to implementation of the scheme. Any grievances or complaints which are received should be disposed off on merit preferably within two weeks time.

## **6. Setting up of Project Monitoring Unit (PMU)**

6.1 A Project Monitoring Unit (PMU) at Central level will be set up in DAC&FW. This PMU shall be tasked with the responsibility of overall monitoring of the scheme and shall be headed by Chief Executive Officer (CEO). PMU shall also undertake publicity campaign (Information, Education and Communication-IEC).

6.2 Each State/UT Government will designate a Nodal Department for implementation of the scheme and coordinating with Central Government with regard to implementation of the Scheme.

6.3 On the lines of PMU at central level, States/UTs may consider setting up dedicated Project Monitoring Units at State/UT Level. 0.25% of the amount earmarked for the first installment and 0.125% for the subsequent installments can be transferred by GoI to State/UT Government to cover the expenditure on their PMUs, if established and for meeting other related administrative expenses including cost to be incurred for procurement of stationary, field verification, filling of prescribed formats, their certification and its uploading as well as incentive for field functionaries, publicity, etc. States/UTs will furnish the details of the account to which Administrative Charges are credited by the Central Government. The administrative charges payable to the States/UTs will be provided by Government of India- based on the volume of work and the number of beneficiaries.

## **7. PM Kisan Portal for implementation of the scheme (Beneficiary Details uploading by State)**

(a) Beneficiaries under the scheme are to be identified by the respective State/UT. The details of farmers are being maintained by the States/UTs either in electronic form or in manual register. To make integrated platform available in the country to assist in benefit transfer, a platform named **PM Kisan Portal** available at URL(<http://pmkisan.nic.in>) shall be launched for uploading the SMF details at a single web portal in a uniform Structure.

(b) The PM Kisan Portal has been conceptualised with the following objectives -

1. To provide verified and single source of truth on SMF details at the portal.
2. Timely assistance to the farmers in farm operation
3. A unified e-platform for transferring of cash benefits into farmers bank account through PFMS integration.
4. Location wise availability of benefited farmers list.
5. Ease of monitoring across the country on fund transaction details.

### **(c) PM KisanPortal :**

The following farmer attributes need to be entered in the Portal:


#### **Farmer Attributes: (Essential):**

State, District, Sub-District/Block, Village, Farmer Name, Type of Identity –Aadhaar Number and in case Aadhaar not available, Aadhaar enrollment number with any other ID proof like Voter ID etc, Gender, Category, IFSC Code, Bank Account Number.

#### **Farmer Attributes (Optional):**

Father name, Address, Mobile Number, Date of Birth/Age, Farm-Size in Hectare, Survey Number, Khasra Number

Optional attributes such as Mobile number can be utilized for SMS alerts. Other optional attributes may be used for purpose of future requirement. However, these attributes are not essential for purpose of transfer of benefits as States/UTs are certifying that beneficiaries are eligible for transfer of benefit.



2. There are 3 ways through which a the PM Kisan Portal:

(a) If a State/UT has village/district wise list of SMF, they may upload the same in a pre-defined format and with the help of local NIC State Unit.


(b) Some existing data of farmers is already available on the PM Kisan Portal (like Pradhan Mantri FasalBima Yojana, Soil Health Card etc.) which will be visible on selection of States/Districts/Village. States/UTs which do not have their own list may use this village-wise list of farmers as provided on the portal and edit the same to finalize the SMF list. For this the correction window shall be available at PM Kisan portal for authorized users of District and Block. Socio Economic and Caste Census (SECC), can also be utilized for this purpose.

**State/UT wise** status of number of farmer records shall be available at <http://pmkisan.nic.in>.

(c) If States/UTs want to make fresh entry of a farmer, provision is there for registration of these farmers in a defined and standardized format.

**(d) Records preparation process through PM-KISAN Portal:**

1. State admin and District admin need to be identified for creation of login credentials or approval of login credentials in case of self registration by District and Block/Tehsil/Taluka officials.



2. **Farmers** list as available on the portal shall be available at Block/Tehsil/Taluka level official's login.

3. Search facility will also be available to get details on Farmers by Name, Aadhaar Number or Mobile Number in case PM KISAN Portal data is being used. Facility to add new Farmers details shall be available, if details are not found in the list.

4. The verified list shall be e-signed by the District level or block/tehsil/taluka level officials as the case may be. The **exclusion categories specified in scheme guidelines** also need to be taken care before e-signing the verified farmers list.

5. The States Nodal Officer shall submit a district wise e-Signed list of SMF to Program Division of DAC&FW through PM Kisan Portal.

## **8. Modalities for transfer of benefit**

8.1 The funds pertaining to income support benefit as well as administrative charges shall be released from Govt. of India to the States designated account/mechanism. The benefit shall be transferred by Government of India to the beneficiaries through a mechanism wherein district-wise beneficiaries lists shall be certified and uploaded by the States/UTs and the funds will be electronically transferred via State Notional Account (similar to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGS)) to the beneficiary' Aadhaar enabled DBT bank account through Aadhaar Payment Bridge (APB). In case where the Aadhaar number of the beneficiary is not on the APB, benefit will be transferred directly into the bank account of the beneficiary provided by the State/UT Government for the first installment for the period up to 31 March, 2019 and thereafter the beneficiary account shall mandatorily have to be verified with Aadhaar and brought on to the Aadhaar Payment Bridge except for States of J&K, Meghalaya and Assam. For ease of implementation the States may consider assigning the job of sponsoring bank for the scheme to the same bank being used by concerned State for MNREGS.

8.2 The amount due to the beneficiaries under the scheme is to be paid directly into their bank account through the mechanism of Direct Benefit Transfer (DBT). The amount will flow to the account of the beneficiaries, held in destination banks, through the accredited bank of Department and sponsoring bank of the State/UT, using PFMS portal. The destination bank can be a Schedule Bank, Post office, Rural Bank, Cooperative Bank or any other Financial Institution.

8.3 The important steps to be taken by State/UT Governments and Union Governments, for timely payment into the beneficiary account are listed below:

### **A. State/UT Government:**

- i. State/UT Governments are to identify the beneficiaries and upload the beneficiary details on the web portal of the scheme.
- ii. Correctness of beneficiary details is to be ensured by State/UT Governments. Further, speedy reconciliation in case of wrong/incomplete bank details of the beneficiary should be ensured.
- iii. For facilitating payment, Fund Transfer Order (FTO) for the total amount in a batch of beneficiaries, is to be signed by State/UT, on the web portal of the scheme.
- iv. State/UT Governments are also required to identify a bank in each State/UT and designate it as sponsoring bank for this scheme. States may consider designating the same bank being used for transfer of fund for MNRGES as sponsoring bank for this scheme.
- v. The bank to be designated as sponsoring bank, is to have well developed IT systems with the capabilities of integration with web portal of the scheme and Public Financial Management System (PFMS).

- vi. Details of sponsoring bank along with IFSC code and bank account number in which funds are to be transferred are to be provided to the Department.
- vii. States/UT Governments are to authorise the sponsoring bank to directly transmit the amount received under the scheme to destination banks, having beneficiary account.
- viii. The sponsoring bank is to transmit the funds to destination bank soon after the same are received by it.

## **B. Union Government:**

- I. The Programme Division in the Department is to issue Sanction Order on the basis of FTOs received from States/UTs.
- II. The beneficiary account is to be credited periodically after the issuance of the Sanction Order.
- III. Beneficiary would be intimated about credit of amount to his account by Short Messaging Service (SMS).
- IV. The confirmation of credit to the beneficiary account would be received back by the Department on the day next to the day of credit to the beneficiary account.
- V. Failed/unsuccessful transactions would be reported back by the banking system to the Department, on the day next to the day of reporting of the successful transactions, along with amount involved.
- VI. Details of failed transactions would be made available to States/UTs for further verification of beneficiary details and reprocessing.

8.2 The beneficiary lists would be displayed at Panchayats to ensure greater transparency and information. Further, States/UTs would notify the sanction of benefit to the beneficiary through system generated SMS. In cases of complaints/grievances emanating subsequent to publication of beneficiary list, the same should be addressed and remedial action taken expeditiously. Efforts should be undertaken by State/UT Governments to ensure random checking for around 5% of the beneficiary for the eligibility during the year by Supervisory officers.

## **9. Timelines**

9.1 For transfer of benefits of the first installment (for the period from 01.12.2018 to 31.03.2019), States/UTs are expected to take immediate steps for finalization of eligible beneficiaries' lists and uploading of the same on the PM Kisan portal by 25<sup>th</sup> February, 2019, so that the benefits may be transferred into the accounts of beneficiaries thereafter.

## **10. Validity of the list of beneficiaries**

10.1 This list of beneficiaries prepared by States/UTs for transfer of first installment shall be valid for one year. However, States/UTs can upload names of eligible beneficiaries who have been identified subsequently. States/UTs should also implement a mechanism to ensure revision of the name of the beneficiary list in case of mutation /changes in the land record after uploading list on the portal for updation of the eligible beneficiary details for such lands as per above para 3.3. It should be noted that after 01.02.2019 benefit will be allowed to transferees only on succession due to death as detailed in para 3.3.



## Different Scenarios for computation of benefit to eligible beneficiaries

Scenario	Benefit per annum
In case of landholding of 10 hectare owned by a single farmer family.	No benefit
In case of landholding of 10 hectare owned by 5 families each owning 2 hectare.	Rs.6000 to each family
In case of landholding of 19 hectare owned by 12 families with 4 families owning 1 hectare each and other 8 families owning 1.5 hectare each.	Rs.6000 to each family
In case of landholding of 1.8 hectare in different parcels owned by family members are spread across different revenue records in the same or different villages.	Rs.6000 to each family
In case of landholding of 10 hectare owned by 4 families 1 family owns 5.5 hectare and other 3 families own 1.5 hectare each.	Family owing 5.5 hectare- No benefit Other 3 families owing 1.5 hectare each – Rs. 6000 each.
If transfer of ownership of lands take place on account of sale/succession, etc. on 5 <sup>th</sup> of January, 2019.	Proportionate benefit of first installment (for two months and 25 days only) shall be eligible to the new land owner.
If there is a landowner having 1.5 hectare cultivable list detailed in para 2.4.1 of the Guidelines	No benefit.

\*\*\*\*\*

# “प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)”

के लिए

## कार्यकारी दिशानिर्देश

“प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि)PM-KISAN)”

कार्यकारी दिशानिर्देश

### 1. योजना

सरकारने चालू वित्त वर्ष में लघु एवं सीमांत कृषकोंकी आय बढ़ाने की दृष्टि से एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जिसका नाम है “प्रधान मंत्री किसान सम्माननिधि)PM-KISAN)। वित्तीय वर्ष 19-2018हेतु पात्र हितग्राहियों को लाभ के हस्तांतरण के लिए यहयोजना 01.12.2018से प्रभावी होगी।

## 2. उद्देश्य और लाभ

2.1 सरकार ने PM-KISAN कोकृषि , योग्य भूमिधारित करने वाले सभी लघु एवं सीमांतभूमि-स्वामी कृषक परिवारों की आय में सहयोग करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया है। इस योजना का लक्ष्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न निवेशोंकी खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए है, जो कि अनुमानित कृषि आय के अनुरूप है।

### 2.2 योजना के तहत लाभ

इस योजना के तहत, नीचे दिए गए वित्तीय लाभ देश भर के सभी भूमि स्वामी लघु- एवं सीमांत कृषक परिवारों को प्रदान किए जाएंगे- :

(अ) कृषि योग्य भूमिकुल 2हेक्टेयर तक धारित करने कृषक परिवारों को प्रति चार महीन में तीन बराबर किशतों में प्रति परिवार 6, 000रुपये का लाभ दिया जाएगा।

(आ) इस वित्तीय वर्ष 19-2018के दौरान पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त 01.12.2018से 31.03.2019की अवधि के लिए होगी।

### 2.3 परिभाषा

भूमि स्वामी लघु-एवं सीमांत कृषकपरिवार"जिसमें,पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को परिवार के रूप में परिभाषित किया गया हैको "जो संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के भूमि अभिलेख के अनुसार 2हेक्टेयर तक सामूहिक रूप से कृषि योग्य भूमि के मालिक हैं ,उनकी पहचान एवंलाभ की गणना के लिए विद्यमान भूमि अभिलेख प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

### 2.4 अपवाद

2.4.1 उच्च आर्थिक स्थिति के भूमि स्वामी-इसयोजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे जो निम्नलिखित है:-

- i. सभीसंस्थागतभूमि-स्वामी; तथा
- ii. कृषक परिवार जिनमें एक या अधिक निम्न श्रेणी के सदस्य हैं:-
  - a) भूत-पूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ,
  - b) भूत-पूर्व और वर्तमान मेंपदस्थमंत्री /राज्य मंत्री /लोक सभा ,राज्य सभा/राज्य विधानसभा /राज्य विधान परिषद के पूर्व /वर्तमान सदस्य, भूत-पूर्व औरवर्तमान नगरनिगम के महापौर, भूत-पूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष।
  - c) केंद्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय /स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। )मल्टी टास्किंग स्टाफ /चतुर्थ श्रेणी /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर(

- d) सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन - / 10,000रु या उससे अधिक है।)उपरोक्त श्रेणी ) 2.4.1सी (के मल्टी टास्किंग स्टाफ /चतुर्थ श्रेणी /समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर।
- e) अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति।
- f) डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति हैं या अभ्यासरत।

2.4.2 राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश सरकार लाभार्थियों की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा का उपयोग कर सकती है। यदि लाभार्थी गांव में उपलब्ध नहीं है / नहीं रहता है, तो राज्य / संघ शासित राज्य सरकारें उसके परिवार के अन्य वयस्क सदस्य द्वारा घोषणा के आधार पर पात्रता प्रमाणीकरण पर विचार कर सकती हैं। गलत स्व-घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ और कानून के अनुसार अन्य दंडात्मक कार्यवाहीका भागी होगा।

### 3. लाभ की गणना की पद्धति

- 3.1 जैसा कि ऊपर पैरा 2.3 में उल्लिखित है, योजना का लाभ, ऊपर दिये पैरा 2.4 में वर्णित व्यक्तियों को छोड़कर, सभी भूमि-स्वामी लघु एवं सीमांत कृषक परिवारों को प्रदान किया जाएगा, जो संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि अभिलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक सामूहिक रूप से कृषि योग्य भूमि के धारक हैं।
- 3.2 यदि भूमि-स्वामी कृषक परिवार के अन्य सदस्य के नाम एक ही या अलग-अलग ग्रामों में अलग-अलग कृषिखेतों में भूमि हिस्से में हैं तो ऐसे मामलों में, योजना के तहत लाभ का निर्धारण करने के लिए समस्त हिस्सों की भूमि को एकत्रित किया जाएगा। संयुक्त खाते के मामले में लाभ परिवार के उस व्यक्ति के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, जिसके पास भूमि का सबसे ज्यादा हिस्सा है। यदि दो या अधिक सदस्यों वाले परिवार की स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि में सभी सदस्यों का हिस्सा सामान है, तो लाभ बड़े / बुजुर्ग सदस्य के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा, जैसा कि उस किसान परिवार के ऐसे सदस्यों के मामले में हो सकता है। इस प्रकार सहखातेदारों के और भी मामले हो सकते हैं इसलिए लाभार्थी की पात्रता के लिए कुछ उदाहरण Annexure -I में देखे जा सकते हैं।
- 3.3 योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए निर्धारित तिथि 01.02.2019 होगी और उसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए इस योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि, उन मामलों में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी जहां कृषियोग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण भूस्वामी की मृत्यु के कारण उत्तराधिकार के आधार पर होगा।
- 3.4 ऐसे मामले, जहां कृषियोग्य भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण खरीद, उत्तराधिकार, वसीयत, उपहार, आदि किसी भी कारण दिनांक 01.12.2018 और 31.01.2019 के बीच हुआ हो, योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2018-

19के लिए 4 महीने की पहली किस्त का लाभ आनुपातिक रूप से हस्तांतरण की तारीख से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए देय होगा।

- 3.5 पूर्वोत्तर राज्यों में से कुछ में, भूमि स्वामित्व अधिकार समुदाय आधारित हैं और भूमि-स्वामी कृषकों की सही संख्या का आकलन करना संभव नहीं होगा। ऐसे राज्यों में केंद्रीय, मंत्रियों की समिति (उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER), भूमि संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्री और संबंधित राज्य के मुख्य मंत्रियों या उनके राज्य के विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्रियों की समिति द्वारा, संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर कृषकों, की पात्रता के लिए एक वैकल्पिक क्रियान्वयन व्यवस्था विकसित और अनुमोदित की जावेगी।

#### 4. क्रियान्वयन के लिए रणनीति

- 4.1 योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमि-स्वामी कृषक परिवार की पहचान करने का उत्तरदायित्व राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश सरकार की होगी। राज्यों को नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी/एसटी), आधार संख्या) यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है, तो आधार नामांकन संख्या के साथ पहचान प्रमाणित करने हेतु अन्य कोई निर्धारित पहचान का दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, या केंद्र /राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों या उनके अधिकारियों, आदि द्वारा जारी किए गए अन्य पहचान दस्तावेज (बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड की जानकारी के आधार पर गांवों में पात्र लाभार्थी भूमिस्वामी कृषक- परिवारों का डेटाबेस तैयार करेगी। हालांकि मोबाइल नंबर अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि उपलब्ध होने पर इसे जोड़ा जावे ताकि मंजूरी /लाभ के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी का संचार किया जा सके। असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लाभार्थियों के मामले में जहां आधार संख्या अधिकांश नागरिकों को जारी नहीं की गई है, उन लाभार्थियों के लिए आधार नंबर एकत्र किया जाएगा जहां यह उपलब्ध है और अन्य लोगों के लिए वैकल्पिक सत्यापन पहचान के प्रयोजनों के लिए एकत्र किए जा सकते हैं। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र परिवारों को हस्तांतरित भुगतान का कोई दोहराव न हो। लाभार्थी के गलत /अपूर्ण बैंक विवरण के मामले में त्वरित पुनः भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 4.2 अपात्रता के उद्देश्य से राज्य अपने स्वयं के तौर-तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें पैरा 2.4.2के वर्णन अनुसार लाभार्थियों से स्व-घोषणा लेना होगा। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा ली जा रही उक्त स्व घोषणा में-इस तथ्य का वर्णन होना चाहिए कि इस योजना के लिए लाभार्थी की पात्रता के सत्यापन के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा आधार संख्या का उपयोग करने के लिए लाभार्थी सहमत है। लाभार्थी की यह सहमति ऐसी होनी चाहिए कि "सहमत है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग स्वघोषणा में वर्णित लाभार्थी का आधार - नंबर एवं अन्य जानकारी का उपयोग लाभार्थी की पात्रता की जाँच हेतु कर सकता है यह जाँच सम्बन्धित विभाग के पास इस योजना के क्रियान्वयन दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी।"

- 4.3 संबंधित राज्य /केंद्र शासित प्रदेश में विद्यमान भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। तदनुसार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भूमि अभिलेख त्रुटिरहित एवं अद्यतित हो। इसके अलावा, राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकारें भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर जोर देंगे तथा भूमि अभिलेखों को लाभार्थियों के आधार व बैंक विवरण के साथ जोड़ेंगे।
- 4.4 पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। लघु एवं सीमांत कृषक परिवार जो पात्र हैं, लेकिन उन्हें बाहर रखा गया है, को उनका पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

## 5. समीक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र

- 5.1 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक स्तरीकृत समीक्षा /निगरानी तंत्र होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिवकी अध्यक्षता में समीक्षा समिति होगी। राज्यों के द्वारा राज्य और जिला स्तरीय समीक्षा /निगरानी समिति का गठन किया जावेगा।
- 5.2 राज्यों के द्वारा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों को देखने के लिए राज्य और जिला स्तरीय शिकायत निवारण निगरानी समितियों का गठन किया जावेगा। जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें दो सप्ताह के भीतर योग्यता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

## 6. प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट (पीएमयू) की स्थापना

- 6.1 केंद्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्टमॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) (DAC&FW में स्थापित की जाएगी। इस पीएमयू को योजना की समग्र निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और इसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) (द्वारा की जाएगी। पीएमयू प्रचार अभियान) सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी (भी चलाएगा।
- 6.2 प्रत्येक राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश सरकार योजना के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल विभाग का नामांकन करेगी और योजना के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार के साथ समन्वय करेगी।
- 6.3 राज्य /केन्द्र शासित राज्य, केंद्रीय स्तर पर पीएमयू की तर्ज पर राज्य /केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर प्रोजेक्टमॉनिटरिंग यूनिटकी स्थापना पर विचार कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकार को यदि उनके द्वारा पीएमयू स्थापित किया जाता है तो उसके व्यय एवं अन्य संबंधित प्रशासनिक व्यय जैसे:- स्टेशनरी, फील्ड वेरिफिकेशन, निर्धारित फॉर्मेट भरना, उनका सर्टिफिकेशन और उसकी अपलोडिंग के साथ-साथ फील्ड अधिकारियों, पब्लिसिटी आदि की पूर्ति करने के लिए पहली किस्त के लिए निर्धारित राशि का %0.25 और बाद की किस्तों के लिए %0.125 राशि हस्तांतरित की जा सकती है। राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक प्रभार व्यय के खाते का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। भारत सरकार द्वारा कार्य की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर प्रशासनिक व्यय राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाएगा।

## 7. योजना के क्रियान्वयन के लिए पीएम किसान पोर्टल )लाभार्थियों का विवरण राज्य द्वारा अपलोड करने हेतु(

(a) योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र द्वारा की जानी है। राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषकों का विवरण या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या मैन्युअल रजिस्टर में रखा जा रहा है। लाभ हस्तांतरण में सहायता के लिए देश में एकीकृत प्लेटफॉर्म बनानेके लिए **PM Kisan Portal** नाम का प्लेटफॉर्म) [URLhttp://pmkisan.nic.in](http://pmkisan.nic.in)) पोर्टल पर उपलब्ध कराया है जिस, पर लघु एवं सीमान्त कृषकों की जानकारी एक सामान रूप से अपलोड की जा सकेगी।

(b) **PM Kisan Portal** की अवधारणा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है -

1. पोर्टल पर SMF विवरणों का सत्यापित और एकल स्रोत प्रदान करना।
2. कृषकों को कृषि कार्यों में समय पर सहयोग करना।
3. PFMS एकीकरण के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में नकद लाभों के हस्तांतरण के लिए एक एकीकृत ई-प्लेटफॉर्म।
4. लाभान्वित कृषकोंकी स्थानवार सूची की उपलब्धता।
5. फंड लेनदेन के विवरण पर देश भर में निगरानी की आसानी।

### PM Kisan:Portal

कृषकों की निम्नलिखित जानकारी को पोर्टल में दर्ज किया जाना आवश्यक है -:

#### कृषक का विवरण )आवश्यक(

राज्य, जिला, उप-जिला /ब्लॉक, गाँव, कृषक का नाम, पहचान का प्रकार-आधार नंबर और आधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आधार नामांकन संख्या किसी अन्य पहचान प्रमाण के साथ जैसे मतदाता पहचान पत्र आदि, लिंग, श्रेणी, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या।

#### कृषकका विवरण) वैकल्पिक:(

पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि /आयु, कृषिभूमि- का क्षेत्रफल हेक्टेयरमें, सर्वेक्षण संख्या, खसरा नंबर।

वैकल्पिक विवरण जैसे मोबाइल नंबर का उपयोग एसएमएस अलर्ट के लिए किया जा सकता है। अन्य वैकल्पिक विवरणों का उपयोग भविष्य की आवश्यकता के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, ये विशेषताएँ लाभ के हस्तांतरण के उद्देश्य से आवश्यक नहीं हैं क्योंकि राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यह प्रमाणित किया जा रहा है कि लाभार्थी लाभ हस्तांतरण के लिए पात्र हैं।

1. पीएमकिसानपोर्टल<http://pmkisan.nic.in> पर उपर्युक्त विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है



Welcome Mr Rama Reddy Application User 31-Jan-2019 Logout

### Farmer Registration Form

**Mandatory**

State\* ANDHRA PRADESH District\* ANANTAPUR Sub-District\* --Select Sub District-- Block\* AGALI Village\*

Farmer Name\* Gender\* Category\*

Identity Proof\* Identity Proof No\* IFSC Code\* Account No.\*

**Optional**

Father/Mother/Husband Name Address Mobile No Age/DOB

Ownership (Land Holding) Survey/Khata No: Khasra/ Drag No:

Single  Joint

Submit for Aadhar Authentication Save Reset

**NIC NATIONAL INFORMATICS CENTRE**

Site is designed and hosted by National Informatics Centre. Contents published and managed by Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. All rights reserved. For any query and Suggestions Please write to: agri-dbi[at]gov[dot]in

2. ऐसे 3 तरीके हैं जिनके माध्यम से एक राज्य /केंद्र शासित प्रदेश पीएम किसान पोर्टल पर जानकारी भर सकता है:

(a) यदि किसी राज्य /केंद्रशासित प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की ग्राम /जिलेवार सूची है, तो वे पूर्व-निर्धारित प्रारूप में स्थानीय NIC राज्य इकाई की सहायता से अपलोड कर सकते हैं।

(b) कृषकों का कुछ डाटा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि (पहले से ही पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है, जो कि राज्यों /जिलों /ग्रामों के चयन करने पर दिखाई देगा। जिन राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी सूची नहीं है, वे पोर्टल पर उपलब्ध गांववार कृषकों की इस सूची का उपयोग कर सकते हैं और इसे संपादित कर लघु एवं सीमान्त कृषकों की अंतिम सूची तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पीएम किसान पोर्टल पर सुधार विंडो जिला और ब्लॉक के अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) का उपयोग इस उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।


राज्य /केंद्रशासित प्रदेश वार दर्ज कृषकों की संख्या की स्थिति <http://pmkisan.nic.in> पर उपलब्ध होगी।

(c) यदि राज्य /केंद्रशासित प्रदेश एक कृषक की नई प्रविष्टि करना चाहते हैं, तो ऐसे कृषकों को पंजीबद्ध करने के लिए एक निर्धारित और मानकीकृत प्रारूप में प्रावधान किया गया है।

(d) PM-KISAN पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया:-

1. जिला और ब्लॉक /तहसील /तालुका के अधिकारियों द्वारा स्वयं पंजीकरण के मामले में लॉगिन के निर्माण या लॉगिन के अनुमोदन के लिए राज्य व्यवस्थापक और जिला व्यवस्थापक की पहचान करने की आवश्यकता है।





2. पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों की सूची ब्लॉक /तहसील /तालुका स्तर के आधिकारिक लॉगिन पर उपलब्ध होगी।
3. पीएम किसान पोर्टल डेटा का उपयोग किए जाने की स्थिति में कृषकोंविवरण प्राप्त करने के लिए उसकेनाम, आधार नंबर या मोबाइल नंबर केआधारपर खोज सुविधा उपलब्ध होगी। यदि सूची में विवरण नहीं मिलता है, तो नए कृषकों का विवरण जोड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी।
4. सत्यापित सूची जिला स्तर या ब्लॉक /तहसील /तालुका स्तर के अधिकारियों द्वाराजिस , प्रकार कार्य सौंपा गया हो, ई-साइन की जा सकती है। योजना के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अपवर्जन श्रेणियों को भी सत्यापित कृषकों की सूची पर ई-हस्ताक्षर करने से पहले ध्यान रखना होगा।
5. राज्यका नोडल अधिकारी,पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से DAC&FW के प्रोग्राम डिवीजन कोलधु, एवं सीमान्त कृषकों की जिलावार एक ई-हस्ताक्षरित सूची प्रस्तुत करेगा।

## 8. लाभ के हस्तांतरण की प्रक्रिया

8.1 आय समर्थन लाभ के साथ-साथ प्रशासनिक शुल्क से संबंधित धन भारत सरकार द्वारा राज्यों को नामित खाते /तंत्र से जारी किया जाएगा। यह लाभ भारत सरकार द्वारा एक तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाएगा, जिसमें जिलावार लाभार्थियों की सूची राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रमाणित और अपलोड की जाएगी और धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य राष्ट्रीय खाते सेलाभार्थी के लिए 'आधार पेमेंट ब्रिज )APB) के माध्यम से आधार सक्षम DBT बैंक खाते के माध्यम से स्थानांतरित किया जाएगा )महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के समान) (MNREGS)। ऐसे मामले में, जहां लाभार्थी की आधार संख्या APB लाभ पर नहीं है, राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई राशिलाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 31मार्च, 2019तक की पहली किस्त के लिए हस्तांतरित की जाएगी और उसके बाद लाभार्थी के खाते को अनिवार्य रूप से आधार के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर, मेघालय और असम के राज्यों को छोड़कर आधार भुगतान ब्रिज पर लाया जाना चाहिए। कार्यान्वयन में आसानी के लिए, राज्य इस योजना के लिए बैंक को प्रायोजित करने का काम उसी बैंक को सौंपने पर विचार कर सकते हैं जिसका उपयोग संबंधित राज्य द्वारा मनरेगा के लिए किया जा रहा है।

8.2 योजना के तहत लाभार्थियों को देय राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) (के माध्यम से किया जाना है। यह राशि गंतव्य बैंकों में रखे गए लाभार्थियों के खाते में, विभाग के मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से और पीएफएमएस पोर्टलका उपयोग करके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रायोजक बैंक से वितरित होगी। गंतव्य बैंक एक अनुसूचित बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक या कोई अन्य वित्तीय संस्थान हो सकता है।

8.3 लाभार्थी खाते में समय पर भुगतान के लिए राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

**A. राज्य /केंद्र शासित प्रदेश सरकार-**

- i. राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने और योजना के वेब पोर्टल पर लाभार्थी विवरण अपलोड करने के लिए हैं।
- ii. राज्य /केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा लाभार्थी विवरणों की शुद्धता सुनिश्चित की जानी है। इसके अलावा, लाभार्थी के गलत /अपूर्ण बैंक विवरणों के मामले में तेजी से सुलह सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- iii. भुगतान की सुविधा के लिए, लाभार्थियों के एक बैच की कुल राशि के फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) को राज्य /केंद्रशासित प्रदेश द्वारा योजना के वेब पोर्टल पर हस्ताक्षरित किया जाना है।
- iv. राज्य /केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को भी प्रत्येक राज्य /केंद्र शासित प्रदेश में एक बैंक की पहचान करने और इस योजना के लिए उसे प्रायोजक बैंक के रूप में नामित करने की आवश्यकता है। राज्य इस योजना के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में MNRGES के लिए धन हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जा रहे बैंक को नामित कर सकते हैं।
- v. बैंक को प्रायोजक बैंक के रूप में नामित किया जाना है जिसके पास अच्छी तरह से विकसित आईटी प्रणाली हो जो इस योजना की वेब पोर्टल और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकरण की क्षमता रखता हो।
- vi. प्रायोजक बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक खाता संख्या जिसमें धन हस्तांतरित किया जाना है, विभाग को प्रदान किया जाना है।
- vii. राज्य /केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को प्रायोजक बैंक को इस योजना के तहत प्राप्त राशि को सीधे गंतव्य के बैंकों तक पहुँचाने के लिए अधिकृत करना है, जिनके पास लाभार्थी का खाता है।
- viii. प्रायोजक बैंक को धन प्राप्त होने पर तुरंत उसे को गंतव्य बैंक में प्रेषित करना है।

**B. संघ सरकार:**

- I. विभाग में कार्यक्रम प्रभाग को राज्य /केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त FTOs के आधार पर स्वीकृति आदेश जारी करना है।
- II. स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद समय-समय पर लाभार्थी के खाते में राशि जमा करना है।

- III. लाभार्थी को एसएमएसद्वारा उसके खाते में राशि जमा होने के बारे में सूचित किया जाएगा।
- IV. लाभार्थी के खाते में राशि जमा की पुष्टि राशिअंतरणके अगले दिन विभाग द्वारा प्राप्त की जाएगी।

- V. असफल लेनदेन की सूचना बैंकिंग प्रणाली द्वारा विभाग को दी जाएगी, जिसमें सफल लेनदेन की रिपोर्टिंग के अगले दिनकीराशि शामिल है।
- VI. असफल लेनदेन का विवरण राज्य /केन्द्र शासित प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा जिससेलाभार्थी के विवरण का पुनःसत्यापन कर पुनर्वितरणकी कार्यवाही कीजा सके।

8.4 ज्यादा पारदर्शिता और सूचना सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में लाभार्थी सूची प्रदर्शित कीजाएगी। इसके अलावा, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशको स्वीकृत लाभ से लाभार्थी को SMS के माध्यम से अवगत कराना होगा।लाभार्थी सूची के प्रकाशन के बाद प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तेजी से सुधारात्मककार्यवाहीकी जाना चाहिए। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा यहप्रयासकरना चाहिए कि पर्यवेक्षकअधिकारियों द्वारा एकवर्ष के दौरान लाभार्थीसूची में से लगभग 5% लाभार्थियों की यादृच्छिक रूप से लाभार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में जाँच की जावे।

## 9.समयसीमा

9.1 पहली किस्त के लाभों के हस्तांतरण के लिए )01.12.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए(, 25 फरवरी 2019तकराज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों से पात्र लाभार्थियों की सूचियों को अंतिम रूप देने और पीएम किसान पोर्टल पर इसे अपलोड करने के लिए तत्काल कदम उठाने की उम्मीद हैताकि लाभ को लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित किया जा सके।

## 10. लाभार्थियों की सूची की वैधता

10.1 पहली किस्त के हस्तांतरण के लिए राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार किए गए लाभार्थियों की यह सूची एक वर्ष के लिए वैध होगी। हालांकि, राज्य /केन्द्रशासित क्षेत्र उन पात्र लाभार्थियों के नाम अपलोड कर सकते हैं जिनकी पहचान बाद में की गई है। राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों को पात्र लाभार्थी विवरणों के पोर्टल पर सूची अपलोड करने के बाद ,पैरा 3.3के अनुसार भूमि-अभिलेख में नामांतरण /परिवर्तन के मामले में ऐसी भूमि के लाभार्थी का नाम में संशोधन सुनिश्चित करने हेतु , लाभार्थी सूची मेंअपडेशन के लिए एक व्यवस्था लागू करना चाहिए। यह ध्यान

दिया जाना चाहिए कि 01.02.2019के बाद लाभ केवल तभी अंतरित होगा जब लाभार्थी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के कारणहक प्राप्त हो ,जैसा कि पैरा 3.3 में वर्णित है।

**Annexure-I**  
(पैरा 3.2, पेज 2)

**पात्र लाभार्थियों को लाभ की गणना के लिए विभिन्न परिदृश्य**

<b>परिदृश्य</b>	<b>प्रति वर्ष लाभ</b>
एकल किसान परिवार द्वारा 10 हेक्टेयर भूमि धारित करने की स्थिति में।	कोई फायदा नहीं
पांचपरिवारोंकेद्वारा 10 हेक्टेयरभूमिधारित करने की स्थिति मेंप्रत्येकपरिवार2 हेक्टेयरकामालिकहैं।	प्रत्येक परिवार को 6000रुपये।
12 परिवारोंकेस्वामित्वमें 16 हेक्टेयरभूमिधारित करें की स्थिति में जब4 परिवारों के पास 1-1हेक्टेयरएवंअन्य 8 परिवारोंकेपास 1.5-1.5हेक्टेयरभूमिहै।	प्रत्येक परिवार को 6000रुपये।
जब एक या एक से अधिक ग्रामों या एक एक से अधिक धारित खातोंमें एक परिवारकेसदस्योंद्वारा धारित समस्त हिस्सा 1.8 हेक्टेयरहोने की स्थिति में	प्रत्येक परिवार को 6000रुपये।
4 परिवारोंकेद्वारा 10 हेक्टेयरभूमिधारित करने की स्थिति मेंजबएकपरिवारकेपास 5.5 हेक्टेयरऔरअन्यतीनपरिवारोंकेपास 1.5-1.5 हेक्टेयरभूमिहैं।	5.5 हेक्टेयरधारितपरिवारकोकोईलाभनहीं 3,परिवारोंजिनमें1.5 हेक्टेयर भूमि है प्रत्येकपरिवारकोRs.6000रुपये।
यदि भूमि के स्वामित्व का हस्तांतरण बिक्री / उत्तराधिकार, आदि के आधार पर 5 जनवरी, 2019 तक किया गया।	प्रथम किस्त का आनुपातिक लाभ के लिए (दो महीने और 25 दिनों के लिए) नया भूमि-स्वामी पात्र होगा।
यदि कोई भूमि-स्वामी1.5 हेक्टेयर की खेती योग्य भूमि रखता है, लेकिन भूमि-स्वामी का पति/पत्नी दिशा-निर्देशों के पैरा 2.4.1 के अनुसार अपात्र है	कोई फायदा नहीं

**परिशिष्ट -3**

भू-अभिलेख एवं समग्र परिवार आईडी के आधार पर PMKISAN योजना हेतु पात्र परिवारों के चिन्हांकन हेतु प्रक्रिया

**भू-अभिलेख अनुसार जानकारी**

खाताक	खातेदारका नाम	रकवा (हे)
1	सुरेन्द्र पिता श्यामसुंदर हि 1/3 अरविंद पिता श्यामसुंदर हि 1/3 रामरानी बेबा श्यामसुंदर हि 1/6 राहुल नावालिग पिता राजेश्वर हि 1/6 सर. राजेश्वर	3.6
2	अरविंद पिता तुलसीराम हि 1/2, प्यारी नाबा पिता तुलसीराम हि 1/2 सर. पिता	2.4
3	तीरथ पिता पुन्ने हि 1/4, अमोल पिता पुन्ने हि 1/4, नंदरानी बेबापुन्ने हि 1/4 सुरेन्द्र पिता श्यामसुंदर हि 1/4	3.6
4	राजेन्द्र पिता आँकार हि 1/2, अशोक नाबा पिता लक्ष्मण हि 1/2 सर.पिता	2.4
5	संजय पिता हरिशंकर	2.1
6	राजेन्द्र पिता आँकार	0.5
7	अमित पिता राजेन्द्र हि 1/2, सुनीता पत्नी अमित हि 1/4, राहुलनाबापुत्रअमित हि 1/4	1.8

**प्रथम चरण -समस्त खाता के प्रत्येक सह-खातेदार का रकवा/हिस्सा, समग्र आईडी एवं अन्य जानकारी प्रविष्ट करना (प्रदत्त यूटिलिटी के माध्यम से)**

खाता/बसराक्रमांक	नाम	रिश्ता	पिता/पति का नाम	हिस्सा	क्षेत्र (है.)	उम्र	समग्र आईडी	समग्र परिवार आईडी
1	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	1/3	1.2	18	123456789	999999999
	अरविंद	पुत्र	श्यामसुंदर	1/3	1.2	20	987654321	999999999
	रामरानी	बेबा	श्यामसुंदर	1/6	0.6	55	876598234	999999999
	राहुल	पुत्र	राजेश्वर	1/6	0.6	10	478298756	888888888
2	अरविंद	पुत्र	तुलसीराम	1/2	1.2	22	738265748	777777777
	प्यारी	पुत्री	तुलसीराम	1/2	1.2	15	268736529	777777777
3	तीरथ	पुत्र	पुन्ने	1/4	0.9	26	587298574	666666666
	अमोल	पुत्र	पुन्ने	1/4	0.9	28	386654356	666666666
	नंदरानी	बेबा	पुन्ने	1/4	0.9	59	237864357	666666666
	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	1/4	0.9	18	123456789	999999999
4	राजेन्द्र	पुत्र	आँकार	1/2	1.2	34	847758484	555555555
	अशोक	पुत्र	लक्ष्मण	1/2	1.2	16	575783648	444444444
5	संजय	पुत्र	हरिशंकर	1	2.1	34	846855646	333333333
6	राजेन्द्र	पुत्र	आँकार	1	0.5	34	847758484	555555555
7	अमित	पुत्र	राजेन्द्र	1/2	0.9	40	456356473	222222222
	सुनीता	पत्नी	अमित	1/4	0.45	35	378345674	222222222
	राहुल	पुत्र	अमित	1/4	0.45	10	476534232	222222222

- (1) श्री सुरेन्द्र पुत्र श्यामसुंदर की भूमि खाता क्रमांक 01 एवं 03 में अंकित है।
- (2) श्री राजेन्द्र पुत्र आँकार की भूमि खाता क्रमांक 04 एवं 06 में अंकित है।

**द्वितीय चरण - समग्र परिवार आईडी अनुसार परिवारों का गठन**

समग्रपरिवार आईडी	नाम	रिश्ता	पिता/पति का नाम	उम्र	क्षेत्र (है.)	समग्र परिवार रकवा
333333333	संजय	पुत्र	हरिशंकर	34	2.1	2.1
444444444	अशोक	पुत्र	लक्ष्मण	16	1.2	1.2
555555555	राजेन्द्र	पुत्र	ओंकार	34	1.2	1.7
	राजेन्द्र	पुत्र	ओंकार	34	0.5	
666666666	तीरथ	पुत्र	पुन्ने	26	0.9	2.7
	अमोल	पुत्र	पुन्ने	28	0.9	
	नंदरानी	बेबा	पुन्ने	59	0.9	
777777777	अरविंद	पुत्र	तुलसीराम	22	1.2	2.4
	प्यारी	पुत्री	तुलसीराम	15	1.2	
888888888	राहुल	पुत्र	राजेश्वर	10	0.6	0.6
999999999	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	18	1.2	3.9
	अरविंद	पुत्र	श्यामसुंदर	20	1.2	
	रामरानी	बेबा	श्यामसुंदर	55	0.6	
	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	18	0.9	
222222222	अमित	पुत्र	राजेन्द्र	40	0.9	1.8
	सुनीता	पत्नी	अमित	35	0.45	
	राहुल	पुत्र	अमित	10	0.45	

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्यामसुंदर की भूमि जो पृथक खाता क्रमांक 01 एवं 03 में अंकित थी वह समग्र परिवार आईडी 999999999 के साथ, एक स्थान पर अंकित है। श्री राजेन्द्र पुत्र ओंकार की भूमि जो पृथक खाता क्रमांक 04 एवं 06 में अंकित है उसे परिवार आईडी 555555555 अनुसार एक साथ सम्मिलित किया गया है।

**तृतीय चरण - PMKISAN योजना के मापदण्ड अनुसार परिवारों का पुनर्गठन**

PMKISAN ID	नाम	रिश्ता	पिता/पति का नाम	क्षेत्र (है.)	उम्र	समग्र परिवारआईडी	पात्र/ अपात्र	कारण
1	संजय	पुत्र	हरिशंकर	2.1	34	333333333	अपात्र	रकवा
2	अशोक	पुत्र	लक्ष्मण	1.2	16	444444444	पात्र	
3	राजेन्द्र	पुत्र	ओंकार	1.7	34	555555555	अपात्र	आयकरदाता
4	तीरथ	पुत्र	पुन्ने	0.9	26	666666666	पात्र	
5	अमोल	पुत्र	पुन्ने	0.9	28	666666666	पात्र	
6	नंदरानी	बेबा	पुन्ने	0.9	59	666666666	पात्र	
7	अरविंद	पुत्र	तुलसीराम	1.2	22	777777777	पात्र	
8	प्यारी	पुत्री	तुलसीराम	1.2	15	777777777	पात्र	
9	राहुल	पुत्र	राजेश्वर	0.6	10	888888888	पात्र	
10	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	2.1	18	999999999	अपात्र	
11	अरविंद	पुत्र	श्यामसुंदर	1.2	20	999999999	पात्र	
12	रामरानी	बेबा	श्यामसुंदर	0.6	55	999999999	पात्र	
13	अमित	पुत्र	राजेन्द्र	1.8	40	222222222	पात्र	
	सुनीता	पत्नी	अमित		35			
	राहुल	पुत्र	अमित		10			

(1) PMKISAN ID 4, 5, 6 एक ही समग्र परिवार आईडी 666666666 एवं एक ही खाते के सहखातेदार हैं, उन्हें पृथक परिवार दर्ज किया गया है।

- (2) श्री अशोक पुत्र लक्ष्मण (संभवतः अनाथ) जो कि नाबालिग है एवं खाता क्रमांक 4 में सहखातेदार है, जो PMKISAN योजनांतर्गत पृथक परिवार PMKISAN ID 02 पर अंकित किया गया है।
- (3) PMKISAN योजनांतर्गत PMKISAN ID 13 पर अंकित परिवार को योजना में अंकित परिभाषा पर एकल (परिवार) हितग्राही अंकित किया गया है।

### PMKISAN योजना हेतु पात्र किसानों की सूची

	नाम	रिश्ता	पिता/पतिका नाम	क्षेत्र (है.)	उम्र	समग्र परिवार आईडी	पात्र/ अपात्र
2	अशोक	पुत्र	लक्ष्मण	1.2	16	4444444444	पात्र
4	तीरथ	पुत्र	पुन्ने	0.9	26	6666666666	पात्र
5	अमोल	पुत्र	पुन्ने	0.9	28	6666666666	पात्र
6	नंदरानी	बेबा	पुन्ने	0.9	59	6666666666	पात्र
7	अरविंद	पुत्र	तुलसीराम	1.2	22	7777777777	पात्र
8	प्यारी	पुत्री	तुलसीराम	1.2	15	7777777777	पात्र
9	राहुल	पुत्र	राजेश्वर	0.6	10	8888888888	पात्र
11	अरविंद	पुत्र	श्यामसुंदर	1.2	20	9999999999	पात्र
12	रामरानी	बेबा	श्यामसुंदर	0.6	55	9999999999	पात्र
13	अमित	पुत्र	राजेन्द्र	1.8	40	2222222222	पात्र
	सुनीता	पत्नी	अमित		35		
	राहुल	पुत्र	अमित		10		

### PMKISAN योजना हेतु अपात्र किसानों की सूची

PMKISAN ID	नाम	रिश्ता	पिता/पतिका नाम	क्षेत्र (है.)	उम्र	समग्र परिवार आईडी	पात्र/ अपात्र	कारण
1	संजय	पुत्र	हरिशंकर	2.1	34	3333333333	अपात्र	क्षेत्र >= 2 (है.)
3	राजेन्द्र	पुत्र	ओंकार	1.7	34	5555555555	अपात्र	आयकरदाता
10	सुरेन्द्र	पुत्र	श्यामसुंदर	2.1	18	9999999999	अपात्र	क्षेत्र >= 2 (है.)



**प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनापात्रताहोने के संबंध  
मेंहेतुस्व-सत्यापितप्रमाणपत्र**

**स्व-घोषणा**

मैं.....पिता / पति.....निवासी..... यह घोषणाकरताहूँकि :-

1. मेरेपरिवारमेंकोईभीव्यक्तिप्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना के कार्यकारीदिशानिर्देश के पैरा 2.4.1 (ii) में वर्णित पदों पर न कभीपदस्थरहेहैंऔर न वर्तमानमेंपदस्थहैं।
2. मैं एवंमेरापरिवारआयकरदाता की श्रेणी मेंनहींआतेहैं।
3. मैं एवंमेरेपरिवार द्वारा मध्यप्रदेशराज्य के समस्तग्रामोंमें धारितभूमि 2.00 हे. से अधिकनहींहै।

मेरे द्वाराऊपरदी गईजानकारीमेरेज्ञान एवंजानकारी के अनुसारसहीहैसाथहीमुझे ज्ञातहैकिमेरे द्वारादी गईजानकारीगलतपायीजातीहैतोमेरेविरुद्ध विधि अनुसारकार्यवाही की जासकतीहै।

**हस्ताक्षरआवेदक**

**प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनामेंआधारनम्बरउपयोगहेतुसहमति**

सहमतिहैकिहमारे द्वाराआधारनंबर एवंअन्य जानकारीदीजा रहीहै, उसकाउपयोगराजस्वविभाग, मध्यप्रदेश शासनप्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना के क्रियान्वयन के लियेलाभार्थी की पात्रता की जांचहेतुकरसकताहै।

नाम	पिता / पति / अभिभावक का नाम	बैंक का IFSCकोड	बैंक खातासंख्या	मॉबाईलनंबर	आधारनंबर	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

**हस्ताक्षरआवेदक**

# प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनाहेतु नाम जोड़ने का आवेदन

प्रति,

तहसीलदारमहोदय,

.....

विषय:— प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना की पात्रतासूचीमें नाम जोड़नेबावत्।

महोदय,

निवेदनहैकिप्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनाहेतुग्राम..... प.ह.न.  
/ग्रामपंचायत..... तहसील..... की पात्रतासूचीमेंमेरेपरिवार का नाम  
शामिलनहींकियागयाहै, जबकिमैं एवंमेरापरिवार इस हेतुपात्र हैं।मेरेपरिवार की  
जानकारीनिम्नानुसारहै:—

नाम	पिता/पति/ अभिभावक का नाम	लिंग	आयु	वर्गअजा/ अजजा/ अपिव/ सामान्य	समग्रआ ई.डी क्र.	कुल धारितकृषि- भूमि (हे. में)	तहसील एवंग्राम का नाम	खसरानंब र(यदिज्ञा त हो)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उपर्युक्तवर्णितभूमि के अतिरिक्तमेरेपरिवार के नाम से मध्यप्रदेश के किसीभीअन्य  
ग्राममेंकोईभूमिनहींहै।अतः अनुरोध हैकिमेरेपरिवार का नाम प्रधानमंत्री कृषिसम्माननिधि की  
पात्रतासूचीमेंजोडाजाये।

दिनांक— / /

हस्ताक्षरआवेदक

निरंतर.....

निरंतर.....

प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनाहेतुजारीसूचीमेंआपत्ति

प्रति,

तहसीलदारमहोदय,

.....

विषय:— प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना की पात्रतासूचीमें जोड़े गए नाम पर आपत्ति बावत्।

महोदय,

निवेदन है कि प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना हेतु ग्राम..... प.ह.न. / ग्रामपंचायत..... तहसील..... की पात्रतासूचीमें नाम..... पिता..... जाति..... का नाम सूची के क्रमांक..... पर दर्ज है, जबकि वह परिवार उक्त योजना के लिये निम्न कारणों से पात्र नहीं है:—

1. उस परिवार द्वारा कुल धारित कृषिभूमि 2.00 हे. से अधिक है, जिसका विवरण .....  
.....
2. उसके परिवार के सदस्य आयकरदाता है जिसका विवरण.....  
.....
3. योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 2.4.1 के तहत अपवर्जित है, जिसका विवरण.....  
.....
4. ....  
.....

अतः अनुरोध है कि नाम..... पिता..... जाति..... का पात्रतासूची के क्रमांक..... पर दर्ज नाम हटाया जाए।

दिनांक— / /

हस्ताक्षर आवेदक

# प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनाहेतुजारीसूचीमेंआपत्ति

प्रति,

तहसीलदारमहोदय,

.....

विषय:— प्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजना की पात्रतासूचीमेंजोडे गए नाम परआपत्तिबावत्।

महोदय,

निवेदनहैकिप्रधानमंत्री किसानसम्माननिधि योजनाहेतुग्राम.....प.ह.न. /ग्रामपंचायत..... तहसील..... की पात्रतासूचीमें नाम..... पिता..... जाति.....का नाम सूची के क्रमांक..... परदर्जहै, जबकिवहपरिवारउक्त योजना के लियेनिम्नकारणों से पात्र नहींहै:—

1. उस परिवार द्वाराकुल धारितकृषिभूमि 2.00 हे. से अधिकहै, जिसकाविवरण ...  
.....
2. उसकेपरिवार के सदस्य आयकरदाताहैजिसकाविवरण.....  
.....
3. योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 2.4.1 के तहतअपवर्जितहै, जिसकाविवरण.....  
.....
4. ....  
.....

अतः अनुरोध हैकि नाम.....पिता.....जाति..... का पात्रतासूची के क्रमांक..... परदर्ज नाम हटायाजाए।

दिनांक— / /

हस्ताक्षरआवेदक

